भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2314

13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु योजनाएं

2314. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु पेंशन, स्वास्थ्य, पुनर्वास और स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से अब तक लाभान्वित हुए पूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक विश्राम गृहों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार सहायता केंद्रों की जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है और साथ ही ऐसी नई सुविधाओं के प्रस्ताव वाले जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) टोंक- सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(च) स्थानीय स्तर पर उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग) सरकार भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य, पुनर्वास और स्वरोजगार से संबंधित कई योजनाएं लागू कर रही है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों हेतु लाभप्रद रोजगार और स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की

पुनर्नियोजन योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों की स्वेच्छा, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित की जाती हैं। इनमें कौशल विकास प्रशिक्षण भी शामिल है। डीजीआर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) भारत सरकार की फ्लैगशिप पहल है जो पात्र भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलैस और कैपलैस इलाज उपलब्ध कराती है।

डीजीआर योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूरे भारत में लागू होती हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान डीजीआर योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है। ईसीएचएस के तहत 64 लाख पंजीकृत लाभार्थी हैं।

(घ) से (च) सैनिक विश्राम गृहों का प्रशासन, रखरखाव और संचालन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य में 32 सैनिक विश्राम गृह हैं जो अजमेर, ब्यावर, अलवर, बहरोड़, बंसूर, पटेल नगर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चुरु, चिड़ावा, डीडवाना, जयपुर, जैसलमेर, पोखरण, झुंझुनू, जोधपुर, शेरगढ़, कोटा, झालावाड़, नागौर, सोजत पाली, गाड़का की चौकी, सवाई माधोपुर, सीकर, नीम का थाना, गंगानगर, उदयपुर, भीम, राजसमंद, हनुमानगढ़, और राजगढ़ में अवस्थित हैं। टोंक और सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमशः 1,367 और 1,308 है।

अनुलग्नक-I

"पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 2314 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>डीजीआर द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण</u>

(i) **डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना:** डीजीआर विभिन्न सीपीएसई और किसी भी कॉर्पोरेट हाउस, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।

(ii) **डीजीआर तकनीकी सेवा योजना:** डीजीआर सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों/परिसरों को 'तकनीकी सेवाओं' के लिए भूतपूर्व सैनिक कार्यबल उपलब्ध कराता है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है।

(iii) **ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना (केवल अधिकारी):** यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर प्रशासित की जाती है। वर्तमान में यह योजना पुनरुद्धार के अधीन है।

(iv) **ईएसएम के लिए कोल टिपर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए):** यह योजना ईएसएम कोल लोडिंग और परिवहन योजना से संबद्ध है।

(v) **विधवाओं और नि:शक्त सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना:** 65 वर्ष तक की विधवाएँ और 50% या उससे अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्त सैनिक इस योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं। यह योजना ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना से संबद्ध है।

(vi) **8% आरक्षण कोटा के सापेक्ष तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रिब्यूटरशिप के आवंटन हेतु डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना:** युद्ध विधवाओं/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों, युद्ध में नि:शक्त/संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते समय नि:शक्त हुए व्यक्तियों, सैन्य सेवा के कारण या उससे संबंधित गंभीर कारणों से सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों के साथ-साथ सैन्य

सेवा के कारण या उससे संबंधित गंभीर कारणों से शांति काल में नि:शक्त हुए भूतपूर्व सैनिक इस योजना के लिए पात्र हैं।

(vii) **कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी संचालित खुदरा आउटलेट्स का प्रबंधन:** इच्छुक ईएसएम (अधिकारी) और जेसीओ जिन्होंने कोई अन्य सरकारी/डीजीआर लाभ नहीं लिया है, उन्हें तेल कंपनी द्वारा आगे चयन के लिए तेल कंपनी की मांग के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है।

(viii) **एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन:** इस योजना के तहत इच्छुक और पंजीकृत ईएसएम को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।

(ix) **एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटन:** भूतपूर्व सैनिकों को 60 वर्ष की आयु तक दूध/सफल (फल एवं सब्जी) बूथों के लिए अलग से पंजीकृत किया जाता है। वे इन दुकानों का संचालन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं/व्यापार के संबंध में उद्यमिता सीखते हैं।

(x) **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) में भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करना:** भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का उद्देश्य देशभर में जेनेरिक दवाओं की फार्मेसियां स्थापित करना है ताकि सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना को डीजीआर ने पीएमबीआई के सहयोग से जून 2023 में शुरू किया था।

(xi) **पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम:** डीजीआर का प्रशिक्षण निदेशालय भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि नागरिक क्षेत्र में सुचारू रूप से व्यवस्थित करने और उपयुक्त रोजगार के लिए उनके कौशल स्तर को बढ़ाया जा सके।

(1) **अधिकारियों के लिए:** पाठ्यक्रम शुल्क का 60% रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा भुगतान किया जाता है जबकि 40% प्रत्येक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से

भुगतान किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएँ भी उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

(2) **जेसीओ/ओआर और समकक्ष के लिए:** पाठ्यक्रम शुल्क का 100% भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं भी डीजीआर प्रायोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

अनुलग्नक-II

"पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 2314 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

डीजीआर संपूर्ण भारत में भूतपूर्व सैनिकों, नि:शक्त सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक पुनर्वास योजनाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करता है जो भूतपूर्व सैनिकों की स्वेच्छा, योग्यता मापदंड को पूरा करने और रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन योजनाओं/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लाभार्थियों का डाटा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**योजना/वर्ष**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियां तथा राज्य ईएसएम निगम	732	750	848	714
2.	सुरक्षा एजेंसियों में प्रायोजित ईएसएम	32,240	48,525	48,691	43,143
3.	कोयला कंपनियों में प्रायोजित ईएसएम	-	12	-	-
4.	कोयला कंपनियों में नियोजित विधवाएं/दिव्यांग ईएसएम	-	16	-	-
5.	एनसीआर/पुणे में सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन	47	66	16	20
6.	सीओसीओ योजना (पेट्रोल पंप) के लिए प्रायोजित	47	138	259	432
7.	तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना	1	44	11	03
8.	मदर डेयरी मिल्क बूथ/सफल बूथ	835	553	627	648
9.	डीजीआर (रोजगार निदेशालय) द्वारा प्रायोजित/नियोजित ईएसएम	8,974	3,388	2,891	2,616
10.	डीजीआर तकनीकी सेवा योजना	56	313	268	450
11.	प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से	33	83	-	82

	पीआरसी पूर्ण होने के बाद				
12.	रोजगार मेले/सेमिनार/पीएमबीजेपी	769	7,922	12,148	20,214
	कुल	**43,734**	**61,810**	**65,759**	**68,322**